

राजकीय पोलिटेक्निक, कैमूर

पुस्तकालय नियम

1. प्राचार्य, सभी व्याख्याता कर्मी एवं सभी छात्र/छात्राएं पुस्तकालय के सदस्य हैं।
1. पुस्तकालय में प्रवेश से पहले छात्रों को रजिस्टर में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
2. पुस्तकालय में छात्र/छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत सामान लाने की अनुमति मान्य नहीं है।
3. बिना पुस्तकालय प्रभारी के अनुमति के पुस्तकालय से कोई भी मुद्रित सामग्री नहीं ली जा सकती है।
4. पुस्तक लेने के लिए पुस्तकालय पत्रक के साथ संस्थान का परिचय पत्र को अपने साथ लाएं।
5. उधार ली गई सभी सामग्री, पुस्तकालय छोड़ने से पहले पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा जांच की जा सकती है।
6. पुस्तकों में रेखांकन लेखन या उनके पन्ने फाड़ना वर्जित है। इस कार्य में दोषी पाये जाने पर पाठक को सामान उच्चतर/संस्करण की नई पुस्तक वापस करनी होगी। यदि पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं है तो पाठक को पुस्तक मूल्य के दोगुना मूल्य चुकाना होगा।
7. छात्रों को पन्द्रह दिन(15) के लिए दो पुस्तकें जारी की जाती है। विलंब से पुस्तक प्राप्ति पर 2रु (दो रुपये) का जुर्माना प्रतिदिन प्रति पुस्तक छात्रों से लिए जाएंगे।
8. यदि पुस्तक खो जाये तो पाठक को सामान/उच्चतर संस्करण की नई पुस्तक वापस करनी होगी। यदि पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं है तो पाठक को समान पुस्तक मूल्य के दोगुना मूल्य चुकाना होगा।
9. पुस्तक केवल कार्ड धारक स्वयं प्राप्त करेंगे। पुस्तकालय पत्रक खो जाने पर 50रु (पचास रुपये) जुर्माना छात्र को देय होगा।
10. संस्थान छोड़ने पर छात्रों को लाइब्रेरी से No Dues प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है।
11. पुस्तकालय में फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण Silent रखें।

लव नी

पुस्तकालय प्रभारी

01/02/2024

प्राचार्य

राजकीय पोलिटेक्निक,
कैमूर

प्राचार्य
राजकीय पोलिटेक्निक
कैमूर(भु...)